संख्या-19/2024/93/23-9-2024-23-9099/3474/2020

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2024**

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0 एफ0 योजनान्तर्गत जनपद वाराणसी में बाबतपुर-मंगारी-चौबेपुर मार्ग पर उत्तर रेलवे(वाराणसी-जौनपुर खण्ड) के बाबतपुर रेलवे स्टेशन के पास सम्पार संख्या-16सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु परियोजना की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लो0नि0वि0 के पत्र सं0-630/आर0ओ0बी0/वाराणसी क्षेत्र/सेतु-3/2023, दिनांक 13.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 9/2022/आई/130016/2022-23-9099/3474/2020, दिनांक 06.01.2022 द्वारा जनपद वाराणसी में बाबतपुर-मंगारी-चौबेपुर मार्ग पर उत्तर रेलवे(वाराणसी-जौनपुर खण्ड) के बाबतपुर रेलवे स्टेशन के पास सम्पार संख्या-16सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु परियोजना हेतु लागत रू0 3510.33 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0 एफ0 योजनान्तर्गत जनपद वाराणसी में बाबतपुर-मंगारी-चौबेपुर मार्ग पर उत्तर रेलवे(वाराणसी-जौनपुर खण्ड) के बाबतपुर रेलवे स्टेशन के पास सम्पार संख्या-16सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु परियोजना हेतु पूर्व स्वीकृत लागत रू0 3276.61 लाख में भूमि अध्याप्ति एवं भवनों के मुआवजे की लागत में हुई वृद्धि के दृष्टिगत व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.07.2023 में अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 35,10,33,000/- (रूपये पैतीस करोड़ दस लाख तैतीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	जनपद	कार्य का नाम	पूर्व स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4	5
1	वाराणसी	बाबतपुर-मंगारी-चौबेपुर मार्ग पर उत्तर रेलवे(वाराणसी-जौनपुर खण्ड) के बाबतपुर रेलवे स्टेशन के पास सम्पार संख्या-16सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य।	3276.61	3510.33

(1) नाबार्ड योजनान्तर्गत सेतुओं के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(2) उक्त परियोजना में रेलवे के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तवित भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राम शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(3) प्रायोजना में यदि भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तो भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा नाबार्ड की शर्तों एवं योजना के दिशा-निर्देशों का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) पुनरीक्षित लागत के संबंध में व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(8) उक्त परियोजना में शासनादेश संख्या- 9/2022/आई/130016/2022-23-9099/3474/2020, दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित सुसंगत शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष का होगा।

भवदीय

शिव कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या- उपरोक्त तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- महाप्रबंधक रेलवे, संबंधित जोन द्वारा मुख्य अभियंता(सेतु) लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
12- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
13- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
14- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
15- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।

आज्ञा से,

शिव कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in